FORM NO.3

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत.....मुकाम.....

.....बनाम.....

किस्म मुकदमा.....न. .....सन्.....

| | |
|---|---|
| 12.1.17 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। जवाब प्र3022 स्लेम मिसल दिनांक 16.2.17 को पेश हो। SDOSarwar |
| 16.2.17 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। जवाब तहकार प्र3022 स्लेम मिसल दिनांक 20.4.17 को पेश हो। SDOSarwar |
| 20.4.17 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। जवाब तहकार प्र3022 स्लेम मिसल दिनांक 31.5.17 को पेश हुई। SDOSarwar |
| 31.5.17 | राजस्व लोक अदालत<br>न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के तहत<br>राजस्व कोर्ट में राजीनामा हेतु दि. 19.6.17<br>पार्ट भगवंतपुरा को पेश हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>सरवाड़ |
| 19.6.17 | पक्षकारान उभय/वकील पार्टी उपस्थित।<br>उभय पक्षों लोक अदालत में पेश हुई<br>पक्षकारान में समझाइश की गई पर राजीनामा<br>नहीं हुआ/हुआ। वास्ते दिनांक 7.8.17<br>को पेश हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>सरवाड़ |
| 7.7.17 | राजस्व लोक अदालत<br>न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के तहत<br>राजस्व कोर्ट में राजीनामा हेतु दि. 7.7.17<br>पार्ट आवलपुरा को पेश हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>सरवाड़ |
| 7.7.17 | पत्रावली आज अटल पेश हेतु आमंत्रण के पेश हुई। वकील वादी व वादी हाजिर। सुना गया। तरफ से संकेत के लिए जीवराज |

रामेर-9545

रामेर-9215

Scanned by CamScanner

इस प्रकार से है कि भगवंतपुरा की जमाबंदी सं. 2066-69 के खाता सं. नया - पुराना 432-356 में वादी - प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारी संयुक्त से चली है खसरा नम्बर 442 रकबा 01-06-10 बीघा श्योनाथ वल्द रामचन्द्र हि० 1/2, रामलखन वल्द रामचन्द्र हि० 1/2 चली चला आ रहा है। दिनांक 26.06.2011 को जब प्रतिवादीगण 1 से 4 ने बाड़े पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। वादी ने आधी भूमि से कब्जा हटाने का निवेदन किया तो इन्कार कर दिया अतः दावा करना पड़ा। अतः प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय की डिक्री की जावे कि प्रतिवादी सं. 1 से 4 की खसरा नं. 442 रकबा 1-06-10 बीघा के आधे हिस्से से बेदखल किया जावे तथा आधे हिस्से में जो भवन व अवशेष पड़ा है उसे प्रतिवादी के खर्चे पर हटवाया जावे। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गए। जवाब सवाल तथा प्रतिवादी सं. 1 से 4 के वकील ने जवाब व काउंटर क्लेम तस्दुक किया। जिसके आधार पर तनकीहात कायम की गई।

1. आया वादी - प्रतिवादी सं. 1 से 4 की बाउण्डरी अमलदारी के आधे हिस्से से बेदखल दखाने का हक रखता है।

-वादी

2. आया प्रतिवादी सं. 1 की बाउण्डरी अमलदारी सिद्ध कर दी है अतः वादी को दावा तस्दुक करने व प्रतिवादी को बेदखल करने का कोई अधिकार नहीं है।

-प्रतिवादी

3 दादरसी

वकील वादी को सुना गया। वादी के लघुत वकील श्री एन. सी. जैन को सुना गया। प्रतिवादी वकील द्वारा तस्दुक जवाब व काउंटर क्लेम व प्रतावली के उपलब्ध डाक्यूमेंट के आधार पर तनकीहात निम्न प्रकार है :->

1. तनकी नं. 1 -> ग्राम भगवंतपुरा की जमाबंदी सं० 2066-69 के खाता सं. नया - पुराना 432-356 किता 2 रकबा 2-18-10 बीघा श्योनाथ वल्द रामचन्द्र हि० 1/2, रामलखन वल्द रामचन्द्र हि० 1/2 कुल जात खातेदार के नाम दर्ज है। उसी से ले ख. नं. 442 रकबा 2/18/10 बीघा में से श्योनाथ को बेदखल करने का हक रखता है। अतः यह तनकी वादी रामलखन के पक्ष में तय की जाती है। रामलखन अपने 1/2 हिस्से पर प्रतिवादीगण को बेदखल करवा सकता है।

67

Scanned by CamScanner

FORM NO.3

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत.....मुकाम.....

.....बनाम.....

किस्म मुकदमा.....न. .....सन्.....

2. तबकी नं. 2 वादी हीरोट आत्मजी खसरा नम्बर 442 रकबा 1-06-10 बीघा दिनांक 27.01.2004 को तालिकाडी सं. 1 से वादी ने अपना हिस्सा क्रिय कर लिया है किन्तु तालिकाडी विक्रय संबंधी कोई डस्तावेज तस्दुल नहीं कर पाये हैं अतः यह तबकी वादी के पक्ष में व तालिकाडी के विरुद्ध तय की जाती है।

रुदाद

चूंकि तबकी नं. 1 वादी के पक्ष में व तबकी नं. 2 तालिकाडी के विरुद्ध व वादी के पक्ष में तय की गई है अतः वादी का वाद डिक्री दिये जाने योग्य पाया जाता है।

निर्णय

अतः वही का वाद ग्राम भगवंतपुरा की जमाबंदी सं. 2006-2007 के फाला सं. नया-पुराना 432-38 खसरा नम्बर 442 रकबा 1-06-10 बीघा कॉमन पल्ड रामचन्द्र हिस्सा 1/2 डालफकीर पल्ड रामचन्द्र हि0 1/2 ग्रेस जाट साब्रेट में वादी रामफल पल्ड रामचन्द्र का 1/2 हिस्सा है में से तालिकाडी सं. 1 लगायत 4 को खसरा नम्बर 442 रकबा 01-06-10 स्थित भगवंतपुरा के आधे हिस्से से बेदखल किया जाता है। तालिकाडी सं. 1 लगायत 4 से दिनांक 01-06-10 से बेदखली की तिराड़ तक तालिवर्ष लगान का 15 गुणा नुकसानि तद० खसाड़ वसूल करे। प्रत्येक हाजि वर्ष या वर्ष के कुछ भाग में इस प्रकार रकम रखा हो, है लिए डिक्रीदार के तौर पर ऐसी रकम चुकाने का भागी तालिकाडी सं. 1 से 4 है इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो, खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय अदालत लोक अदालत भगवंतपुरा में आज मेरे सुनाया गया।

अध्यक्ष
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

सदस्य
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner